संख्या:23/2026/500/35-4-2026/35-4002(003)/40/2026

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्तसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
झांसी।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 28 मार्च,2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-1555/अ0एवंसं0/त्व0आ0वि0आग0/2025-26 दिनांक 14 मार्च, 2026 , सं0-1566/अ0एवंसं0/त्व0आ0वि0आग0/2025-26 दिनांक 14 मार्च, 2026,सं0-1557/अ0एवंसं0/त्व0आ0वि0आग0/2025-26 दिनांक 14 मार्च, 2026,सं0-1558/अ0एवंसं0/त्व0आ0वि0आग0/2025-26 दिनांक 14 मार्च, 2026 ,सं0-1559/अ0एवंसं0/त्व0आ0वि0आग0/2025-26 दिनांक 14 मार्च, 2026,सं0-1560/अ0एवंसं0/त्व0आ0वि0आग0/2025-26 दिनांक 14 मार्च, 2026 ,सं0-1561/अ0एवंसं0/त्व0आ0वि0आग0/2025-26 दिनांक 14 मार्च, 2026,सं0-1562/अ0एवंसं0/त्व0आ0वि0आग0/2025-26 दिनांक 14 मार्च, 2026 **तथा** सं0-1563/अ0एवंसं0/त्व0आ0वि0आग0/2025-26 दिनांक 14 मार्च, 2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-झांसीमें निम्नलिखित तालिका में इंगित कार्यों कीरू. **4399.79**लाख (रूपये **तैंतालीस करोड़ निन्यानबे लाख उनासी हज़ार** मात्र, जी0एस0टी0 सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू.**2114.00** लाख (रूपये **इक्कीस करोड़ चौदह लाख**मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था उनके सामने इंगित की गयी है:-

(लाख रू. में)

क्र स	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
1	जनपद-झॉसी के विकास खण्ड मऊरानीपुर की ग्राम पंचायत झांकरी में श्री सन्तराम कुशवाहा के मकान से श्री नृपति श्रीवास के मकान तक एपेक्स सड़क का निर्माण।	0.55	65.99	32.00	**ग्रा0अभि0वि0**
2	जनपद-झॉसी के विकास खण्ड मऊरानीपुर की ग्राम पंचायत बड़ागॉव में मेन रोड पुलिया से राजेन्द्र बाबू जी के मकान तक एपेक्स सड़क का निर्माण।	0.55	64.78	31.00	**ग्रा0अभि0वि0**

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

क्रस	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
3	जनपद-झाँसी के विकास खण्ड मऊरानीपुर में मऊरानीपुर वायपास से नव निर्मित अग्निशमन केन्द्र मऊरानीपुर तक इण्टरलॉकिंग खंण्ड़जा/विटुमिन रोड का निर्माण कार्य।	1	123.77	59.00	**ग्रा0अभि0वि0**
4	जनपद-झाँसी के विकास खण्ड बबीना के ग्राम पंचायत पृथ्वीपुर नया खेड़ा में सुन्दर अहिरवार के मकान से शमशान घाट तक इण्टरलॉकिंग खंण्ड़जा/विटुमिन रोड का निर्माण कार्य।	0.8	61.93	30.00	**ग्रा0अभि0वि0**
5	जनपद ललितपुर के विकास खण्ड तालबेहट के गाम धनगौल में मुकेश मिश्रा के मकान से कुड़की मुहल्ला की ओर इंटरलॉकिंग खंण्ड़जा / विटुमिन रोड का निर्माण कार्य।	0.75	61.04	29.00	**ग्रा0अभि0वि0**
6	जनपद ललितपुर के विकास खण्ड बिरधा के ग्राम कचनौंदाकलां में प्राइमरी नई बस्ती से पूरन कुशवाहा के मकान की ओर इंटरलॉकिंग खंण्ड़जा / विटुमिन रोड का निर्माण कार्य।	0.5	36.56	18.00	**ग्रा0अभि0वि0**
7	जनपद ललितपुर के ललितपुर नगर के बार्ड नम्बरं 12 आजादपुरा द्वितीय में श्री संग्राम सिंह के मकान से देहरे बाबा मन्दिर की ओर इंटरलॉकिंग खंण्ड़जा / विटुमिन रोड का निर्माण कार्य।	0.51	31.78	15.00	**ग्रा0अभि0वि0**
8	जनपद ललितपुर के विकास खण्ड मडावरा के ग्राम पारौल में फूलबाग मुहल्ला से राजू दुबे के मकान के आगे तक इंटरलॉकिंग खंण्ड़जा / विटुमिन रोड का निर्माण कार्य।	0.8	65.5	31.00	**ग्रा0अभि0वि0**
9	ब्लाक चिरगांव के चिरगांव नगर में बिजली घर से मोंड की पुलिया तक नाला निर्माण कार्य।	1.75	200.53	96.00	**ग्रा0अभि0वि0**
10	ब्लाक चिरगांव के चिरगांव नगर में मास्टर कालौनी से पुलिया तक दोनो ओर नाला निर्माण कार्य।	0.8	82.2	39.00	**ग्रा0अभि0वि0**

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

क्रस	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
11	ब्लाक बबीना के ग्राम बबीना ग्रामीण में राय साहब की चक्की से गोंची खेडा तक सड़क निर्माण कार्य।	1.17	41.96	20.00	**ग्रा0अभि0वि0**
12	ब्लाक चिरगांव में एन0एच0 27 से ठाकुर बाबा मंदिर होते हुये चिरगांव बाईपास तक सड़क नव निर्माण कार्य।	1.12	84.11	40.00	**ग्रा0अभि0वि0**
13	ब्लाक चिरगांव के ग्राम बिठरी में गोविन्द राजपूत की कोठी से पहूॅच नदी के चैकडेम तक सडक नव निर्माण कार्य।	1.2	84.04	40.00	**ग्रा0अभि0वि0**
14	ब्लॉक मऊरानीपुर के ग्राम टकटौली से मध्य प्रदेश सीमा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1.35	138.85	67.00	**ग्रा0अभि0वि0**
15	ब्लॉक मऊरानीपुर में मढा मंदिर से कबूतर डेरा तक एपेक्स सड़क का निर्माण कार्य।	0.5	38.87	19.00	**ग्रा0अभि0वि0**
16	ब्लॉक बंगरा के ग्राम खिसनीखुर्द में रमेश कुशवाहा प्रधान के घर से पथरया खिरक की ओर एपेक्स रोड/पुलिया का निर्माण कार्य।	0.6	42.19	20.00	**ग्रा0अभि0वि0**
17	ब्लॉक बंगरा के ग्राम बुढ़िया से ग्राम पचवई तक एपेक्स सड़क का निर्माण कार्य।	2.8	274.41	132.00	**ग्रा0अभि0वि0**
18	**नगर मोंठ/समथर में कन्वेंशन सेन्टर का नव निर्माण कार्य।**		244.89	118.00	**ग्रा0अभि0वि0**
19	**नगर गुरसरांय/गरौठा में कन्वेंशन सेन्टर का नव निर्माण कार्य।**		244.89	118.00	**ग्रा0अभि0वि0**
20	रोरा रेलवे स्टेशन के पीछे बजरगंवली मंदिर से प्रारंभ होते हुए भटपुरा फूलपुरा से होते हुए रोरा डामर तक रोड का निर्माण कार्य।	0.65	62.12	30.00	**ग्रा0अभि0वि0**
21	ग्राम लहचूरा में लहचूरा चौकी के बगल में कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कार्य।	0	147.01	71.00	**ग्रा0अभि0वि0**

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

क्र स	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
22	उन्नाव बालाजी मार्ग से आरी जाने वाली नहर पटरी मार्ग पर ग्राम-कोट के लिए मुडी सड़क से ग्राम-पोहरा की ओर जाने वाली नहर पटरी पर सड़क का कार्य।	0.6	72.91	35.00	**ग्रा0अभि0वि0**
23	विकास खण्ड बंगरा के ग्राम पंचायत टिकरी में नारायण सिंह के मकान से सुरेश यादव के मकान की ओर रोड का निर्माण कार्य।	0.85	97.54	47.00	**ग्रा0अभि0वि0**
24	विकास खण्ड बंगरा के ग्राम पंचायत सेवारा में सेवारा से गुढ़ा करके खिरक तक सम्पर्क मार्ग एवं रिपटा का निर्माण कार्य।	1	116.89	56.00	**ग्रा0अभि0वि0**
25	**ग्राम पंचायत छपरा विकास खण्ड बडागाव जनपद झाँसी में ग्राम सभा की भूमि पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।**	0	76.31	37.00	**यू0पी0 सिडको**
26	**ग्राम पंचायत वीरपुरा विकास खण्ड बामौर जनपद झाँसी में ग्राम सभा की खाली जगह पर सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।**	0	76.31	37.00	**यू0पी0 सिडको**
27	**ग्राम आरी विकास खण्ड़ बड़ागांव जनपद झाँसी में ग्राम सभा की भूमि पर, सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।**	0	76.31	37.00	**यू0पी0 सिडको**
28	**ग्राम पंचायत पठगुवों ब्लॉक बंगरा जनपद झाँसी में कंचनपुरा खिरक पर बहुउद्देशीय भवन / सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।**	0	76.31	37.00	**यू0पी0 सिडको**
29	शहर बाँदा में तिन्दबारी मुख्य मार्ग बुलेट एजेंसी से ज्योति नगर सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य	2.2	188.48	90.00	**लो0नि0वि0**
30	विकास खण्ड मोंठ के सावित्री चौराहा में खेरापति मंदिर की ओर सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	0.57	54.53	26.00	**ग्रा0अभि0वि0**
31	विकास खण्ड मोंठ के ग्राम सिमिरिया पांडौरी मेनरोड से झाडी वाले बाबा मंदिर की ओर सड़क का निर्माण।	1.08	72.55	35.00	**ग्रा0अभि0वि0**

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

क्रस	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
32	विकास खण्ड बामौर के ग्राम कुडरी में गुरसरांय-कोटरा मार्ग से गऊशाला होते हुये गांव की ओर सड़क का निर्माण।	0.97	64.77	31.00	**ग्रा0अभि0वि0**
33	विकास खण्ड बामौर के ग्राम कठर्री में एरच बंेदा रोड से सिद्धबाबा मंदिर की ओर सड़क का निर्माण कार्य।	0.89	52.58	25.00	**ग्रा0अभि0वि0**
34	ग्वालियर शिवपुरी बाईपास पर श्रीवास्तव जी के मकान से धर्मेन्द्र भदौरिया के मकान की ओर एपेक्स राड व नाली निर्माण।	0.9	51.15	25.00	**ग्रा0अभि0वि0**
35	विकास खण्ड गुरसरांय के ग्राम चतुरताई में निमिया वाले से रामदास पांचाल के मकान से होते हुये शमशानघाट की ओर सड़क व नाली निर्माण।	0.975	61.07	29.00	**ग्रा0अभि0वि0**
36	विकास खण्ड मोंठ के ग्राम खूजा में जूनियर हाईस्कूल से शमशानघाट की ओर सड़क निर्माण कार्य।	0.995	69.44	33.00	**ग्रा0अभि0वि0**
37	विकास खण्ड बामौर के ग्राम गढबई में मेनरोड से ठाकुर बाबा की ओर सड़क निर्माण कार्य।	0.99	62.4	30.00	**ग्रा0अभि0वि0**
38	विकास खण्ड चिरगांव के ग्राम नंदसिया में देवरा सम्पर्क मार्ग एपेक्स निर्माण कार्य।	2	122.33	59.00	**ग्रा0अभि0वि0**
39	विकास खण्ड बामौर में गुरसरांय रोड से अडजरा गांव की ओर एपेक्स सड़क का निर्माण।	0.995	61.19	29.00	**ग्रा0अभि0वि0**
40	विकास खण्ड बामौर के ग्राम बामौर में खेल मैदान से कन्हैयालाल पटेल के मकान की ओर एपेक्स सड़क निर्माण कार्य।	0.99	60.65	29.00	**ग्रा0अभि0वि0**
41	विकास खण्ड चिरगांव के ग्राम करकोस में सुरेन्द्र गुप्ता के मकान से टिंकू पटैरिया के मकान की ओर एपेक्स सड़क का निर्माण कार्य।	0.5	32.81	16.00	**ग्रा0अभि0वि0**

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

क्र स	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
42	विकास खण्ड बबीना के ग्राम पंचायत बाछौनी में भईया लाल के दरवाजे से नदी के रिपटा की ओर सड़क का निर्माण कार्य।	0.5	31.75	15.00	**ग्रा0अभि0वि0**
43	विकास खण्ड मऊरानीपुर के ग्राम मऊ देहात में लक्ष्मी मेयर की कालोनी मे मेनरोड से हरिओम श्रीवास के मकान की ओर सड़क का निर्माण कार्य।	0.5	48.71	23.00	**ग्रा0अभि0वि0**
44	जनपद झाँसी में ब्लाक झाँसी के अध्योध्यापुरी कालोनी में भानीदेवी गोयल इण्टर कालेज के पीछे से सत्यनारायण तिवारी के मकान से रवीन्द्र चतुर्वेदी के मकान की ओर एपेक्स निर्माण कार्य।	0.65	76.04	36.00	**ग्रा0अभि0वि0**
45	जनपद झाँसी में ब्लाक बंगरा के ग्राम हासपुरा में री हनुमान मंदिर हांसपुरा से कगर की ओर एपेक्स सड़क का निर्माण कार्य।	0.64	64.58	31.00	**ग्रा0अभि0वि0**
46	वार्ड नं0 50, बाहर बड़ागॉव गेट मुक्तिधाम से पलक विवाह घर की ओर एपेक्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.6	45.09	22.00	**ग्रा0अभि0वि0**
47	वार्ड नं0 03, खिरकपट्टी में टैक्सी स्टैण्ड से लेकर बड़ी माता मंदिर होते हुए खाती बाबा मंदिर से श्री वेदप्रकाश लेखपाल के मकान की ओर एपेक्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.79	55.58	27.00	**ग्रा0अभि0वि0**
48	वार्ड नं0 05, ईसाईटोला प्रथम में काली जी मंदिर से होते हुए बिहारी पुरा की ओर एपेक्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.95	62.87	30.00	**ग्रा0अभि0वि0**
49	वार्ड नं0 13, ए0टी0एस0 विद्यालय के पास से श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा के मकान की ओर एपेक्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.515	39.22	19.00	**ग्रा0अभि0वि0**

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र स	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
50	वार्ड नं0 24, भगवंतपुरा के टोरिया मोहल्ला में श्री पूरन पाल के मकान से मेवालाल के मकान की ओर एपेक्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.505	45.21	22.00	**ग्रा0अभि0वि0**
51	वार्ड नं0 39, बाहर दतिया गेट, सत्यम विवाह घर से काली माता मंदिर होते हुए बम्बई वालों के मकान से अमर उजाला वालों के मकान की आमने सामने की गलियों से छक्की कुशवाहा की प्रेस होते हुए थापकबाग से फिल्टर रोड की ओर एवं रामबिहारी जी के मकान की दोनों गलियों से अन्नपूर्णा गार्डन होते श्री छक्की कुशवाहा के मकान की ओर मार्ग व निर्माण।	0.55	46.91	23.00	**ग्रा0अभि0वि0**
52	वार्ड नं0 10, राजीवनगर नगरा में इम्तियोज हुसैन के बंगले के पीछे श्री निहाल नायक के मकान तक एपेक्स सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	0.53	45.23	22.00	**ग्रा0अभि0वि0**
53	करगुवॉजी क्षेत्र के बरिया मोहल्ला में श्री विनोद निरंजन के मकान से श्री सतीश पटेल के मकान होते हुए श्री भरत यादव के मकान तक एपेक्स सड़क व नाली निर्माण।	0.56	47.74	23.00	**ग्रा0अभि0वि0**
54	वार्ड नं0 21, सिमरधा के प्रेम का डेरा में श्री राघवेन्द्र यादव के मकान के आगे एपेक्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.55	46.91	23.00	**ग्रा0अभि0वि0**
	कुल योग	**41.75**	**4399.79**	**2114.00**	

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. प्रदेश की राजकीय कार्यदायी संस्थाओं को सेंटेज चार्ज वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-7/10-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मार्च, 2023 के अनुसार देय होगा। योजनान्तर्गत कंटीजेंसी अनुमन्य नहीं है।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

4. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।
5. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनाँक 22 मार्च, 2021 के अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षण आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
6. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17 (4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।
7. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
8. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट / स्टील / ग्रिट/मोरम इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. परियोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु जनपद स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत करने जिसे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
10. कार्य का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
11. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा सी०एम०आई०एस० पोर्टल पर जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
13. त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर, 2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार किये जायेंगे।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

15. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या-1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
16. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनश्चित किया जायेगा।
17. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
18. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
19. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
20. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
21. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2026 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
22. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
23. कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
24. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।
25. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
26. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
27. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
28. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
29. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023- 17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की द्वितीय किश्त हेतु निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए जनपद/कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की वास्तविक लागत के अनुसार मांग की जायेगी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।

30. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।
31. प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
32. नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या: 60/2025/440/35-4-2025/35-4099/184/2023 (पार्ट-1) दिनांक 22 अप्रैल, 2025 में निहित व्यवस्था के अंतर्गत सीएमआईएस पोर्टल पर जियोटैगिंग के साथ पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त कार्यों में से क्रमांक-18 व 19 एवं 25 से 28 पर होने वाले व्यय रु 384.00 (रूपये तीन करोड़ चौरासी लाख मात्र) को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लेखाशीर्षक- 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-60-अन्य भवन-800-अन्य व्यय-03- त्वरित आर्थिक विकास योजना-0305- सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण हेतु-24-वृहद निर्माण कार्य तथा शेष कार्यों पर होने वाले व्यय रु 1730.00 (रूपये सत्रह करोड़ तीस लाख मात्र) को लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04- जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0301-ग्रामीण क्षेत्रों में नयी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था- 24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तंर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या:23/2026/500(1) /35-4-2025/35-4002(003)/40/2026तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ ग्रामीण अभियन्त्रण /नगर विकास विभाग ।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, झांसी।
8- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, झांसी।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, झांसी।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन,नियोजन विभाग।
14- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी।
15- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, झांसी।
16- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, झांसी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

17- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।